Order sheet [Contd]

case No: ba- 261/2017 B.A Signature of Parties or Order or proceeding with signature of Presiding Officer Pleaders where necessavry

20/07/17

01:30 to

आवेदक / अभियुक्त रिव कुशवाह द्वारा श्री प्रवीण अधिवक्ता उप०।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप०। थाना मो के अपराध कमांक 173 / 17 अंतर्गत धारा–379 भा0दं0सं0 की कैफीयत एवं केस डायरी प्राप्त।

आवेदक / अभियुक्त के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 1:45 pm दं0प्र0सं0 के साथ आवेदक रवि कुशवाह के भाई केशव सिंह का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा–439 दं०प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तृत किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। केस डायरी से भी ऐसा ही स्पष्ट है।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क स्ने गए।

आवेदक / अभियुकत की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे उक्त अपराध में झुंटा फंसाया गया है। उससे कोई भी वस्तु बरामद नहीं हुई है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को स्ने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार प्रदीप जाटव ने अन्य सहअभियुक्तगण रामदास गुर्जर, कल्ला गुर्जर एवं अमरसिंह के साथ मिलकर फरियादी भगवान सिंह जाटव की एक भैंस, पडोसी भोलाराम जाटव की दो पंडिया व एक पंडा दिनांक 10.07.17 को दोपहर 02:00 बजे के लगभग गंभीर सिंह के पूरा के हार से चराते समय चोरी कर ली। जिसकी रिपोर्ट थाना मौ में की गई। उक्त भैंस, दो पड़िया व एक पड़ा कुल कीमती 1,50,000 / - रूपए अभियुक्त रवि एवं प्रदीप के आधिपत्य से जप्त की गई है। इस प्रकार समृह में चोरी की गई है।

आवेदक / अभियुक्त को सात दिवस से निरोध में होना बताया गया है। परंतु आवेदक के कृत्य को देखते हुए, उसके निरोध की अवधि को देखते हुए तथा मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों तथा चोरी की गई भैंस आदि की कीमत को देखते हुए आवेदक रवि को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

केस डायरी आदेश की प्रति के साथ वापिस की जावे। नतीजा दर्ज करने के बाद यह आदेश पत्रिका एवं प्रपत्र

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessayry
	अभिलेखागार में भेजा जावे। (मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड	
STINE STINE		A COL
	WINNEYS PARENT STATES OF THE S	
	(2) Italian	